UPJS010042062023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No–UP06548

(CNR NO–UPJS01– 004206–2023)

सत्र परीक्षण संख्या–832/2023

सरकार बनाम हाकिम सिंह ।

धारा–306, 323 भा०दं०सं०

थाना–बबीना, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–12/2023

आरोप

मैं **पी० एन० मिश्र**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप **हाकिम सिंह** पर निम्न आरोप लगाता हूँ कि–

1.– यह कि दिनांक 14.01.2023 को समय 18.30 बजे, स्थान–शिवदयाल मिस्त्री के घर के पास व वादी का खेत बहद ग्राम कोटी, चमरौआ चौकी भेल थाना–बबीना, जिला–झाँसी में आपने वादी मुकदमा के पुत्र को मारपीट कर आत्महत्या करने के लिये दुश्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने धारा–**306** भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2.– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के पुत्र के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। स प्रकार आपने धारा **–323** भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–07.11.2023

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्त उपस्थित है, आरोप उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–07.11.2023

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

UPJS010042062023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No–UP06548

(CNR NO–UPJS01– 004206–2023)

सत्र परीक्षण संख्या–832/2023

सरकार बनाम हाकिम सिंह ।

धारा–306, 323 भा०दं०सं०

थाना–बबीना, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–12/2023

आदेश

दिनांकः11.10.2023

1– पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **हाकिम सिंह** जैरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

2– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्त के दोष को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

3. मैने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मै इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त हाकिम सिंह ने धारा–306, 323 भा० द० सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

5. अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्तहाकिम सिंह ने धारा–306, 323 भा० द० सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक– को पेश हो।

(पी०एन०मिश्र)

दिनांकः07.11.2023 **सत्र न्यायाधीश,**

झाँसी।